बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश संख्या–05 / स्था0 256 / 2007 (खण्ड)........................दिनांक...................... /

आदेश

श्री संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई को महात्मागाँधी टॉल प्लाजा (चेकपोस्ट), वैशाली, हाजीपुर में ओवरलोडेड एवं अनियमित वाहनों की जाँच हेतु दिनांक 01.11.2013 से 20.11.2013 तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। वे जिला परिवहन पदाधिकारी, हाजीपुर को अपना योगदान देंगे।

2. विभागीय आदेश संख्या 5429 दिनांक 25.10.2013 द्वारा निर्गत आदेश में अंकित अवधि में उपर्युक्त अंकित आदेश के अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूर्ववत्त किया जायगा।

3. श्री कुमार की प्रतिनियुक्ति अवधि में जिला परिवहन कार्यालय, जमुई में मोटरयान निरीक्षक के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन श्री संजीव कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, मुंगेर द्वारा अपने कार्यों के अतिरिक्त किया जायगा।

4. श्री सिंह सप्ताह में दो दिन निश्चित रूप से मोटरयान निरीक्षक, जमुई क कार्यों का निष्पादन करेंगे।

5. संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से प्रतिनियुक्त अवधि की उपस्थिति विवरणी प्राप्त होने के उपरांत ही वेतन भुगतान अनुमान्य होगा।

ह0 / –
प्रधान सचिव
–सह–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 5567 पटना, दिनांक 31/10/2013

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर / जिला पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं वैशाली (हाजीपुर) / विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर / जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं वैशाली (हाजीपुर) / श्री संजय कुमार एवं श्री संजीव कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जमुई एवं मुंगेर / आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी शाखा–3, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/13
प्रधान सचिव
–सह–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।